

06.03.2025:—पत्रावली पत्रावली प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नरेश कुमार पारिक के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थीगण के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थीगण की पहचान प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रार्थीगण द्वारा अपना मूल वाद पत्र विद्धा कर लिया गया। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में स्थगन आदेश दिनांक 20.07.2021 को वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

01/25

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इन्दुरानगर

